रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-73

REGISTERED No. D(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 20, 1976 (फाल्गुन 30, 1897)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 20, 1976 (PHALGUNA 30, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 12 फरवरी 1976 तक प्रकाशित किए गए हैं:—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 12th February 1976 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
27	सं० प्रतिअदायगी/सा० सू०-14/76, दिनांक 27 जनवरी, 1976	वित्त मंत्रालय	सं० प्रतिअदायगी/पी० ए०-1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में संशोधन।
	No. Drawback/PN-14/76, dated the 27th January, 1976	Ministry of Finance	Amendment in the table published in Public Notice No. Drawback/PN-1, dated the 15th October, 1971.
28	सं० 12 आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 30 जनवरी, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	अप्रैल 1975—मार्च 1976 अवधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति रेड-बुक (वा० 1) में संशोधन।
	No. 12 ITC(PN)/76, dated the 30th January, 1976	Ministry of Commerce	Amendments in the Import Trade Control Policy Red Book (Vol. I) for the period April 1975—March 1976.
29	सं० एफ० 2 (27) एन० एस०/75 दिनांक 3 फरवरी, 1976	वित्त मंत्रालय	डाकघर बचत बैंक इनामी प्रोत्साहन योजना—31 जनवरी 1976 को निकाले गए चौथे ड्रा का परिणाम।
	No. F2(27)-NS/75, dated the 3rd February, 1976	Ministry of Finance	Post Office Savings Bank's Prize Incentive scheme—Result of Fourth draw held on 31st January, 1976.

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
30	सं० 13 आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 4 फरवरी, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	अप्रैल 1975 से मार्च 1976 की अवधि के लिए। (1) पेन निब, (2) रेजर ब्लेड, (3) खड़ी स्ट्रेप, एवं (4) घड़ी उद्योगों के लिए जंगावरोधी इस्पात स्ट्रिप्स का आयात।
	No. 13-ITC(PN)/76, dated the 4th February, 1976	Ministry of Commerce	Import of stainless steel strips for (1) pen nib, (2) razor blade, (3) Watch strap and (4) Watch Industries for the period April 1975—March 1976.
31	सं० 37/1/XV/76/टी०, दिनांक 9 फरवरी, 1976	लोक सभा सचिवालय	लोक सभा का सत्रावसान।
	No. 37/1/XV/76/T, dated the 9th February, 1976	Lok Sabha Secretariat	Prorogation of Lok Sabha.
32	सं० आर० एस०-1/4/76-एल०, दिनांक 9 फरवरी, 1976	राज्य सभा सचिवालय	राज्य सभा का सत्रावसान।
	No. RS 1/4/76-L, dated the 9th February 1976	Rajya Sabha Secretariat	Prorogation of Rajya Sabha.
33	सं० प्रतिग्रदायगी/सा० सू० 17/76, दिनांक 9 फरवरी, 1976	वित्त मंत्रालय	सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/पी० एन० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में संशोधन।
	No. Drawback/PN-15/76, dated the 9th February, 1976	Ministry of Finance	Amendments in the table published in Public Notice No. Drawback/PN-1 dated the 15th October, 1971.
	सं० प्रतिग्रदायगी/सा० सू० 19/76, दिनांक 9 फरवरी, 1976	—तदैव—	सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिग्रदायगी/सा० सू०-53/75, दिनांक 16 जून, 1975 में संशोधन।
	No. drawback/PN-19/76, dated the 9th February, 1976	Do.	Corrigenda to Public Notice No. Drawback/PN-53/75, dated the 16th June 1975.
34	सं० 14 आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 9 फरवरी, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	अप्रैल, 1975 से मार्च 1976 तक की अवधि के लिए पंजीकृत निर्यातकों के लिए आयात नीति (संशोधन/शुद्धि)।
	No. 14-ITC(PN)/76, dated the 9th February, 1976	Ministry of Commerce	Import Policy for Registered Exporters for the period April 1975—March 1976 (Amendment/Correction).
35	सं० 15-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76	वाणिज्य मंत्रालय	परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष विभाग के लिए फ्रांसीसी विशेष ऋण 1975-76 के अधीन जारी किए गए आयात लाइसेंसों के लिए लागू लाइसेंस शर्तें।
	No. 15-ITC(P.N.)/76, dated the 9th February, 1976	Ministry of Commerce	Licensing Conditions applicable to import licences issued under French Special Credit 1975-76 for the Department of Atomic Energy and Space.
36	सं० 7 (1)/75-कागज, दिनांक 9 फरवरी, 1976	उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय	एक वर्ष की अवधि के लिए एक नामिका गठित करना।
	No. 7(1)/75 Paper, dated the 9th February, 1976	Ministry of Industry and Civil Supplies	Constitute a panel for the printing industry for 1 year.

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
37	सं० 16-आई० टी०सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 10 फरवरी, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	अखबारी कागज का आयात।
	No. 16-ITC(PN)/76, dated the 10th February, 1976	Ministry of Commerce	Import of Newsprint.
38	सं० आर० एस० 1/1/76-एल०, दिनांक 11 फरवरी, 1976	राज्य सभा सचिवालय	राज्य सभा को 8 मार्च, 1976 को समवेत होने के लिए आमंत्रित करना।
	No. RS 1/1/76-L, dated the 11th February, 1976	Rajya Sabha Secretariat	Summon the Rajya Sabha to meet on the 8th March 1976.
39	सं 37/1/XVI/76/टी०, दिनांक 11 फरवरी, 1976	लोक सभा सचिवालय	लोक सभा को 8 मार्च 1976 को समवेत होने के लिए आमंत्रित करना।
	No. 37/1/XVI/76/T, dated the 11th February, 1976	Lok Sabha Secretariat	Summon the Lok Sabha to meet on the 8th March 1976.
40	सं० 17-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 11 फरवरी, 1976	वाणिज्य मंत्रालय	फ्रान्सीसी सामान्य ऋण, 1975-76 के अधीन जारी किये गये आयात लाइसेंसों के लिए लागू लाइसेंस शर्तें।
	No. 17-ITC(P.N.)/76, dated the 11th February, 1976	Ministry of Commerce	Licensing conditions applicable to import licences issued under French General Credit 1975-76.
41	सं० 18-आई० टी० सी० (पी० एन०)/76, दिनांक 12 फरवरी, 1976	—तदैव—	'चुने हुए' एवं 'चुने हुए से इतर' उद्योगों में लगे हुए लघु पैमाने वाले एककों के लिए कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस/रिहाई आदेश जारी करना।
	No. 18-I.T.C.(PN)/76, dated the 12th February, 1976	Do.	Issue of import licences/release orders for raw materials, components and spares to small scale units engaged in 'select' and 'non select' Industries.

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days ofthe date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	207
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	479
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	353
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	743
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	1277
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	67
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	2377
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	253
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	19
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1269
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	43

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	207
PART I—SECTION 2.—Notification ragarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	479
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	353
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	743
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	1277
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	67
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2377
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta	253
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	19
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1269
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	43

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 1976

सं० 23 प्रेज/76—दिनांक 27 जनवरी, 1973 के भारतीय राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित संग्राम मैडल संस्थापित किये जाने से सम्बन्धित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 1-प्रेज/73, दिनांक 17 जनवरी, 1973 की धारा चतुर्थ (ख) में निहित व्यवस्थाओं के अनुसरण में राष्ट्रपति सहर्ष अनुमोदन करते हैं कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी, श्रीनगर में नियुक्त केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के उन कार्मिकों को भी मैडल प्रदान किया जाएगा, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं।

दिनांक 10 मार्च 1976

सं० 24-प्रेज/76-शुद्धिपत्र—दिनांक 7 अप्रैल 1973 के भारतीय राजपत्र के भाग I, खंड 1 के पृष्ठ 424 पर प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या 26-प्रेज/73, दिनांक 30 मार्च 1973 में श्री रघुनन्दन शर्मा, पुलिस उपनिरीक्षक, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश के सम्बंध में वीरता के लिए प्रदान किए गए **पुलिस पदक** की **पुलिस पदक का बार** समझा जाए।

दिनांक 12 मार्च 1976

सं० 25-प्रेज/76-शुद्धि पत्र—दिनांक 17 जनवरी, 1976 के भारतीय राजपत्र के भाग I, खण्ड 1 में प्रकाशित इस सचिवालय की अधिसूचना सं० 3-प्रेज/76, दिनांक 6 जनवरी, 1976 में शुद्धि करने हेतु :—

क्रम संख्या 14 में

बास्ते—"मास्टर सोमायक मोहम्मद शफी"

पढ़ें—"मास्टर सोमण हाउस मोहम्मद शफी"

कृ० बालचन्द्रन, राष्ट्रपति के सचिव

मंत्रिमण्डल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 मार्च 1976

नियम

सं० 11/8/75-के० से०-II—सितम्बर, 1976 में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (परीक्षा स्कंध द्वारा केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के उच्च श्रेणी ग्रेड के लिए चयन सूची में सम्मिलित करने के लिए एक समिति विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जाते हैं।

2. चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या संस्थान द्वारा जारी किये गये नोटिस में बता दी जायेगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए रिक्त स्थानों के संबंध में आरक्षण सरकार द्वारा निर्धारित ढंग से किये जायेंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है—बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1956, संविधान (जम्मू व काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा दमन व दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968 तथा संविधान (गोवा, दमन व दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 के साथ पठित अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 में उल्लिखित कोई भी जाति या आदिम जाति।

3. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (परीक्षा स्कंध) द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट में विहित विधि से किया जायेगा।

किस तारीख को और किन-किन स्थानों पर परीक्षा ली जायेगी, इसका निर्धारण संस्थान का परीक्षा स्कंध करेगा।

4. केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड का ऐसा कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अधिकारी जो 1 जनवरी, 1976 को निम्नलिखित शर्तें पूरी करता हो इस परीक्षा में बैठ सकेगा:—

(1) सेवा की अवधि:—केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में एक जनवरी, 1976 को उसकी पांच वर्ष

से कम की अनुमोदित तथा लगातार सेवा नहीं होनी चाहिए ।

टिप्पणी : 1 स्वीकृत तथा लगातार सेवा की 5 वर्ष की सीमा उस अवस्था में भी लागू होगी यदि किसी उम्मीदवार की कुल विचारणीय सेवा अंशत: केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में अवर श्रेणी लिपिक के रूप में और अंशत: उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में की गई हो ।

टिप्पणी : 2 केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा का कोई स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अस्थायी अवर श्रेणी के लिपिक, जिसने 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्र सेना में सेवा की हो, सशस्त्र सेना से प्रत्यावर्तन पर सशस्त्र सेवा में अपनी सेवा की अवधि (प्रशिक्षण की अवधि मिलाकर, यदि कोई हो) निर्धारित न्यूनतम सेवा में गिन सकेगा ।

टिप्पणी : 3 ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से निःसंवर्गीय पदों पर प्रतिनियुक्त हों, उन्हें अन्यथा पात्र होने पर इस परीक्षा में भाग लेने का पात्र समझा जायेगा । तथा यह बात उन अवर श्रेणी लिपिकों पर लागू नहीं होती जो स्थानान्तरित रूप में निःसंवर्गीय पदों पर या अन्य सेवा में नियुक्त किए गए हों और केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहण अधिकारी (लियन) न रखते हों ।

(2) आयु (क) 1-1-1976 को उसकी आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1931 से पूर्व नहीं हुआ हो ।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त अवर श्रेणी लिपिक के मामलों में जिसमें 26 अक्तूबर, 1962 को जारी की गई आपातकाल की उद्घोषणा के प्रवर्तनकाल में अर्थात् 26 अक्तूबर, 1962 से 9 जनवरी, 1968 तक सशस्त्री सेवा की हो और वहां से प्रत्यावर्तित हो गया हो, सशस्त्र सेना में अपनी सेवा (प्रशिक्षण की अवधि समेत यदि कोई हो) की अवधि तक छूट दी जायेगी ।

(ग) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में निम्नलिखित मामलों में और अधिक छूट दी जायेगी:—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार बंगला देश (जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) से आया हुआ विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले प्रवजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बंगला देश (जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद परन्तु 25 मार्च, 1971 से पहले प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-सीलोन करार के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका (जिसे पहले सीलोन कहा जाता था) से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 को भारत-श्रीलंका करार के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो और बर्मा से आया हुआ भारतीय मूल का वास्तविक प्रत्यावर्तित व्यक्ति भी हो और 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रवर्तित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(ix) किसी दूसरे देश से संघर्ष के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(x) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त क्षेत्र में सैनिक कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसका परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त सेवा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों में संबंधित हों अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(xi) यदि उम्मीदवार संघराज्य क्षेत्र गोआ, दमन और दीव का रहने वाला है तो अधिकतम तीन वर्ष,

(xii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाहियों तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा दल के कार्मिकों के मामलों में अधिकतम तीन वर्ष तक, और

(xiii) 1971 में हुए भारत-पाक संघर्ष के दौरान फौजी कार्रवाइयों में विकलांग हुए तथा उसके फलस्वरूप निर्मुक्त किये गये सीमा सुरक्षा दल के ऐसे कार्मिकों के मामलों में अधिकतम 8 वर्ष तक, जो अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के हों ।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अतिरिक्त निर्धारित आयु सीमा में किसी भी अवस्था में छूट नहीं दी जाएगी ।

(3) टाइप परीक्षा—यदि किसी उम्मीदवार को अवर श्रेणी ग्रेड में स्थायीकरण के उद्देश्य से संघ लोक सेवा आयोग/सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल/सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान (परीक्षा स्कंध) की मासिक/तिमाही टाइप की परीक्षा उत्तीर्ण करने में छूट न मिली हो तो इस परीक्षा की अधिसूचना की तारीख को या इससे पहले यह टाइप की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेनी चाहिए ।

5. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में इस संस्थान का निर्णय अंतिम होगा ।

6. किसी उम्मीदवार की परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास संस्थान का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

7. यदि किसी उम्मीदवार को संस्थान द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो कि उसने—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुसूचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) परीक्षा भवनों में अनुसूचित तरीके अपनाये हैं, अथवा

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है, अथवा

(ix) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को अवैधेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे—

(क) संस्थान द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए—

(i) संस्थान के परीक्षा स्कंध द्वारा, ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

8. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो संस्थान के परीक्षा स्कंध द्वारा उसका आचरण ऐसा समझा जाएगा जिसमें उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य करार दिया जायेगा ।

9. निम्नलिखित उम्मीदवारों को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को संस्थान के परीक्षा स्कंध द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क देना होगा ।

(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों को निर्धारित शुल्क का एक चौथाई शुल्क देना होगा, और

(ii) विभिन्न श्रेणियों अथवा वर्गों के ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क के भुगतान से छूट दी जाएगी जिन को शुल्क में छूट अथवा रियायत अथवा दोनों के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए ।

10. संस्थान परीक्षा के बाद हरेक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर उनकी योग्यता के क्रम से उनके नामों की सूची बताएगा और उसी क्रम से उतने ही उम्मीद-

वारों के नाम अपेक्षित संख्या तक उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में शामिल करने की सिफारिश करेगा जो संस्थान के निर्णय के अनुसार परीक्षा द्वारा योग्य माने गए हों ।

परन्तु यदि किसी अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों तक नहीं भरे जा सके, तो आरक्षित कोटा में कमी को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर परीक्षा में योग्यता क्रम में उनके रैंक का ध्यान किए बिना यदि वे योग्य हुए तो संस्थान द्वारा सिफारिश की जा सकेगी ।

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि यह परीक्षा प्रतियोगिता परीक्षा है नकि अर्हक परीक्षा (क्वालिफाइंग एक्जेमिनेशन) इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर उच्च श्रेणी ग्रेड की प्रवर सूची में कितने उम्मीदवारों के नाम शामिल किये जायें, इसका निर्णय करने के लिए सरकार पूरी तरह सक्षम है । इस लिये कोई भी उम्मीदवार अधिकार के तौर पर इस बात का कोई दावा नहीं कर सकेगा कि उसके द्वारा परीक्षा में लिए गए उत्तरों के आधार पर उसका नाम प्रवर सूची में शामिल किया ही जाय ।

11. हर उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाये, इसका निर्णय संस्थान का (परीक्षा स्कंध) अपने विवेकानुसार करेगा और संस्थान परिणामों के बारे में उनसे कोई पत्रव्यवहार नहीं करेगा ।

12. परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने से ही चयन का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि संवर्ग प्राधिकारी आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि सेवा में उसके आचरण को देखते हुए उम्मीदवार हर प्रकार से चयन के लिए उपयुक्त है ।

किन्तु यह कि इस सम्बन्ध में निर्णय कि क्या संस्थान (परीक्षा स्कंध) द्वारा चयन के लिए सिफारिश किया गया कोई विशेष उम्मीदवार उपयुक्त नहीं है, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के परामर्श से किया जाएगा ।

13. जो उम्मीदवार परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र देने के बाद या परीक्षा में बैठ जाने के बाद केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अपने पद से त्याग पत्र दे देगा अथवा अन्य किसी प्रकार से उस सेवा को छोड़ देगा या उससे अपना संबन्ध विच्छेद कर लेगा या जिसकी सेवा उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी गई हों या किसी निसंवर्गीय पद या दूसरी सेवा में 'स्थानान्तरण' द्वारा नियुक्त किया जा चुका हो और के०स० आ०से० के निम्न श्रेणी ग्रेड में ग्रहणधिकार न रखता हो, वह इस परीक्षा के परिणाम के आधार पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

तथापि यह उस अवर श्रेणी लिपिक पर लागू नहीं होता जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्गीय पद पर प्रतिनियुक्ति के पात्र के रूप में नियुक्त किया जा चुका हो ।

के० बी० नायर, अवर सचिव

परिशिष्ट

परीक्षा निम्नलिखित योजना के अनुसार होगी :—

भाग—1 नीचे परिच्छेद 2 में बताए गए विषयों की कुल 300 अंकों की लिखित परीक्षा ।

भाग—2 संस्थान द्वारा अपने विवेकानुसार ऐसे उम्मीदवारों के सेवावृत्तों (रिकार्ड आफ सर्विस) का मूल्यांकन जो लिखित परीक्षा में ऐसे न्यूनतम स्तर प्राप्त करते हैं, जिसके बारे में संस्थान फैसला करेगा, और इसके लिए अधिकतम अंक 100 होंगे ।

2. भाग—1 में बताई गई लिखित परीक्षा के विषय, प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम अंक तथा दिया जाने वाला समय इस प्रकार होगा :—

विषय	अधिकतम अंक		दिया गया समय
(1) निबंध तथा सार लेखन			
(क) निबंध	50	100	2 घंटे
(ख) सार लेखन	50		
(2) आलेखन व टिप्पण तथा कार्यालय पद्धति	100		2 घंटे
(3) सामान्य ज्ञान	100		2 घंटे

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण नीचे दी गई अनुसूची में दिये अनुसार होगा ।

4. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्र के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी) में लिखने का विकल्प करने की अनुमति दी जाती है परन्तु शर्त है कि सभी प्रश्नपत्रों अर्थात (1) निबंध तथा सार लेखन, अथवा (2) टिप्पणी लेखन मसौदा लेखन और कार्यालय पद्धति, अथवा (3) सामान्य ज्ञान में से किसी एक प्रश्न पत्र का उत्तर सभी उम्मीदवारों को अंग्रेजी में अवश्य लिखना है ।

टिप्पणी 1:—यह विकल्प पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगा न कि एक ही प्रश्न पत्र में अलग अलग प्रश्नों के लिए ।

टिप्पणी 2:—जो उम्मीदवार उपरोक्त प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में अथवा हिन्दी (देवनागरी) में लिखना चाहते हैं उन्हें यह बात आवेदन पत्र के कालम 6 में स्पष्ट रूप में लिख देनी चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखेंगे ।

टिप्पणी 3:—एक बार रखा गया विकल्प अंतिम माना जायेगा और आवेदन पत्र के कालम 6 में परिवर्तन करने से संबंधित कोई अनुरोध साधारणतया स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

टिप्पणी 4:—प्रश्न पत्र हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में दिए जायेंगे ।

नोट:—उम्मीदवार द्वारा अपनाई गई (आप्ट की गई) भाषा को छोड़ कर अन्य किसी भाषा में लिखे उत्तर को कोई महत्व नहीं दिया जायेगा ।

5. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे । किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

6. संस्थान का परीक्षा स्कंध अपने विवेक से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक अंक (क्वालीफाइंग नम्बर) निर्धारित कर सकता है ।

7. केवल कोरे सतही ज्ञान के लिए अंक नहीं दिये जायेंगे ।

8. खराब लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम अंकों के 5 प्रतिशत तक अंक काट लिए जायेंगे ।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि भावाव्यक्ति कम से कम शब्दों में, क्रम बद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई है ।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक विवरण

(1) निबंध तथा सार लेखन

(क) निबंध विहित कई विषयों में से एक पर निबंध लिखना होगा ।

(ख) सार लेखन सूक्षम । सार लिखने के लिए सामान्यत: अनुच्छेद दिये जायेंगे ।

(2) टिप्पणी व आलेख तथा कार्यालय पद्धति :—इस प्रश्न पत्र का प्रयोजन सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में कार्यालय पद्धति के बारे में उम्मीदवारों का ज्ञान और सामान्यत: टिप्पण व आलेखन के लिखने तथा समझने में उम्मीदवारों की योग्यता जांचना है । उम्मीदवारों को चाहिए कि इसके लिए ये कार्यालय पद्धति की नियम पुस्तक (मेन्वल आफ आफिस प्रोसीजर) तथा "रुल्स आफ प्रोसीजर एण्ड कण्डक्ट आफ बिजिनेस इन लोक सभा एण्ड राज्य सभा, पढ़ें ।

(3) सामान्य ज्ञान:—सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ प्रत्याशी का भारतीय भूगोल तथा देश के प्रशासनसंबंधी ज्ञान तथा राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों की वर्तमान घटनाओं के प्रति बुद्धिमतापूर्ण जागरूकता जिसको किसी शिक्षित मनुष्य से अपेक्षा की जा सकती है, की परीक्षा लेना है ।

प्रत्याशियों के उत्तरों से उनके किन्हीं पाठ्य पुस्तकों, प्रतिवेदनों इत्यादि के विस्तृत ज्ञान की नहीं अपितु उनके प्रश्नों को बुद्धिमतापूर्ण तौर पर समझने की क्षमता प्रदर्शित हो ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

कम्पनी कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 फरवरी 1976

आदेश

सं० 27/5/76-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उपधारा 1 के खण्ड (II) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग, नई दिल्ली के निरीक्षण अधिकारी श्री एस० एन० जीया को कथित धारा 209क के उद्देश्य हेतु प्राधिकृत करती है ।

सं० 7/11/75-सी० एल०-2—कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209क की उपधारा (1) के खण्ड (II) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग के अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार, आन्ध्र प्रदेश हैदराबाद के कार्यालय के वरिष्ठ तकनीकी सहायक श्री एम० रामा राव को कथित धारा 209क के उद्देश्य हेतु प्राधिकृत करती है ।

2. केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एस० आर० वी० वी० सत्यनारायणन वरिष्ठ तकनीकी सहायक के पक्ष में दिनांक 31 अगस्त, 1973 के आदेश संख्या 53/2/73-सी० एल०-2 द्वारा जारी किये प्राधिकरण को रद्द करती है ।

एन० एल० पिल्ले, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मार्च 1976

सं० यू०-13019/18/75-ए० एन० एल० (I)—राष्ट्रपति, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की तारीख 24 अगस्त, 1972 की समय-समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या 26/3/71-ए० एन० एल० के पैरा 3 (3) का अनुसरण करते हुए पश्चिमी खाड़ी कटचाल की निवासी श्रीमती मैरियम को अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों के मुख्य आयुक्त से संबद्ध संघ शासित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीप समूहों की सलाहकार समिति में 31 मार्च, 1976 तक की अवधि के लिए मनोनीत करते हैं ।

सं० यू०-13019/18/75-ए० एन० एल० (II)—राष्ट्रपति, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की तारीख 4 अक्तूबर, 1972 की समय-समय पर संशोधित अधिसूचना संख्या 26/12/72-ए० एन० एल० के पैरा 2 के खंड (ई) का अनुसरण करते हुए, जंगलीघाट ग्राम निवासी, श्रीमती जय देवी को संघ शासित क्षेत्र अंडमान व निकोबार द्वीपसमूहों के प्रशासन से संबद्ध गृह मंत्री की सलाहकार समिति में 31 मार्च, 1976 तक की अवधि के लिए मनोनीत करते हैं ।

कैलाश प्रकाश, उप सचिव

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 1976

सं० 4 (1)/76-ई० पी० जेड—केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विकास विभाग के संयुक्त सचिव श्री पी० सी० नायक को श्री आई० महादेवन के स्थान पर, सांताक्रुज इलेक्ट्रोनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बोर्ड के एक सदस्य के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है और भारत सरकार के (भूतपूर्व) विदेश व्यापार मंत्रालय की अधिसूचना सं० 16 (2)/73-टी० ए० ई० पी०, दिनांक 20-1-1973 में निम्नोक्त और संशोधन करती है ।

उपर्युक्त अधिसूचना में क्रमांक 4 के सामने प्रविष्टि के लिए निम्नोक्त प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

"4. श्री पी० सी० नायक,
संयुक्त सचिव,
औद्योगिक विकास विभाग।"

यू० आर० कुलेकर, उप-निदेशक

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय
(परिवार नियोजन विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 6 फरवरी 1976

संकल्प

सं० 11-20/73-प्रशिक्षण—भारत सरकार ने जीव चिकित्सा अनुसंधान समन्वय समिति का गठन किया है।

इस समिति की रचना इस प्रकार होगी :—

1.	सचिव, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय	अध्यक्ष
2.	अपर सचिव (परिवार नियोजन)	सदस्य
3.	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक	,,
4.	संयुक्त सचिव एवं आयुक्त (प० नि०)	,,
5.	महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली	,,
6.	निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली	,,
7.	निदेशक, राष्ट्रीय परिवार नियोजन संस्थान, नई दिल्ली	,,
8.	निदेशक, केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	,,
9.	प्रोफेसर एम० आर० एन० प्रसाद, दिल्ली विश्वविद्यालय	,,
10.	संयुक्त सचिव, वित्त (स्वास्थ्य)	,,
11.	महानिदेशक, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्	,,
12.	उपायुक्त (प्रशिक्षण और अनुसंधान)	सदस्य-सचिव

समिति निम्नलिखित कार्य करेगी :—

(i) समिति जीव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र में हुई प्रगति का समन्वय और पुनर्विलोकन करेगी ताकि इस कार्य की आवृत्ति तथा पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

(ii) वह जीव चिकित्सा अनुसंधान के लिए मिलने वाले अनुदानों तथा विदेशी एजेन्सियों से भी मिलने वाली सहायता और उसके उपयोग पर विचार करेगी।

2. समिति को अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए अन्य विशेषज्ञों को सहयोजित/आमंत्रित करने तथा यथावश्यक उप-समितियों को गठित करने का आधिकार होगा। समिति आवश्यकतानुसार अपनी बैठकें आयोजित कर सकेगी।

3. सामान्यतया समिति की बैठकें नई दिल्ली में ही आयोजित की जाएंगी।

4. समिति का कार्यकाल दो वर्ष होगा।

5. समिति के गैर-सरकारी तथा आमन्त्रित सदस्य समिति की बैठकों म भाग लेने के लिए उन्हीं दरों पर यात्रा-भत्ता तथा दैनिक भत्ता लेने के हकदार होंगे जो केन्द्रीय सेवा के प्रथम श्रेणी के उच्चतम ग्रेड के अधिकारी को मान्य होंगी। समिति के वे सदस्य, जो सरकारी कर्मचारी होंगे, अपने देय यात्रा तथा दैनिक भत्ते उसी स्रोत से प्राप्त करेंगे जहां से वे अपने वेतन पाते हैं।

6. इस पर होने वाले व्यय की पूर्ति संस्वीकृत बजट अनुदान में से मुख्य शीर्ष मांग संख्या 45-परिवार नियोजन के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "281-क" परिवार नियोजन, क-1-निर्देशन और प्रशासन, क-1(1)—मुख्यालय का तकनीकी खण्ड, क-1 (1) (4)—यात्रा खर्च से की जाएगी।

सरला ग्रेवाल, संयुक्त सचिव
एवं आयुक्त (परिवार नियोजन)

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(कृषि विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 28 फरवरी 1976

संकल्प

सं० 25-8/68 एल० डी०—I—गौ रक्षा समिति के संबंध में इस मंत्रालय के संकल्प सं० 25-5/66 एल० डी०-I दिनांक 29-6-67 में आंशिक संशोधन करते हुए (जिसमें समय समय पर संशोधन होता रहा है) केन्द्रीय सरकार ने निर्णय लिया है कि उपर्युक्त संकल्प की मद सं० 9 के सामने इन्दराज के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

'डा० एल० एस० वेंकटरमनन
सीनियर फैलो,
इन्स्टीट्यूट आफ सोसियल एण्ड इकानामिक चेंज,
बैंगलोर।

का० मु० अहमद, संयुक्त सचिव

आदेश

1. आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति निम्नलिखित को भेज दी जाये :—

1. समस्त राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र
2. लोक सभा सचिवालय।
3. राज्य सभा सचिवालय।
4. प्रधान मंत्री का सचिवालय।
5. मन्त्रिमण्डल सचिवालय।

6. श्री जी० के० मित्तर, अध्यक्ष,
गौ रक्षा समिति,
36/4 साउथ एन्ड पार्क, कलकत्ता 29।

7. श्री श्यामा चरण शुकल, मुख्य मंत्री,
मध्य प्रदेश, भोपाल।

8. श्री एस० एस० रे, मुख्य मंत्री,
पश्चिम बंगाल, कलकत्ता।

9. श्री गोस्वामी गिरधारी लाल जी,
प्रधान मंत्री, सनातम धर्म प्रतिनिधि सभा,
भूपेन्द्र भवन, पहाड़गंज, नई दिल्ली।

10. श्री अक्षय कुमार जैन, सम्पादक,
नवभारत टाइम्स, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।

11. डा० एम० एन० मेनन,
पशु पालन आयुक्त।

12. डा० आई० जे० सिंह,
कृषि अर्थ शास्त्र के प्रोफेसर,
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)।

13. डा० वी० कुरियन, अध्यक्ष,
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, आनन्द (गुजरात)।

14. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली।

15. स्थापना—1/2/3/4/5, कृषि विभाग को सूचनार्थ।

16. सूचना अधिकारी, कृषि विभाग।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित कर दिया जाए।

गुरदयाल मोहन, अवर सचिव

ऊर्जा मंत्रालय

(कोयला विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 फरवरी 1976

सं० 55011/31/75-पी० आई० आर०—भारत सरकार ने खान सुरक्षा महानिदेशक को राष्ट्रीयकृत खानों की सुरक्षा के सम्पूर्ण प्रश्न की जांच समिति का सदस्य नियुक्त करने का निश्चय किया है जिसका गठन ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) के भाग-I खण्ड-1 के अन्तर्गत प्रकाशित 5 जनवरी, 1976 के संकल्प द्वारा किया गया था।

के० सीतागमन, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 27 फरवरी 1976

सं० 34012/13/74-सी० आई०/सी० पी० सी०—ऊर्जा मंत्रालय (कोयला विभाग) की 17 जुलाई, 1975 की अधिसूचना संख्या 34012/13/74-सी० आई० (खण्ड II) के अनुक्रम में भारत सरकार द्वारा कृत्रिम तेल के विशेषज्ञ दल को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, 30 जून, 1976 तक का समय दिया जाता है।

एम० क्षा, निदेशक

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 9th March 1976

No. 23-Pres/76.—In pursuance of the provisions contained in clause Fourthly (b) of this Secretariat Notification No. 1-Pres/73, dated the 17th January, 1973, published in Part I Section I of the Gazette of India dated the 7th January, 1973 instituting the award of Sangram Medal, the President is pleased to approve that the Medal shall also be awarded to the personnel of the Central Industrial Security Force who were deployed at the Hindustan Machine Tools Factory, Srinagar and had fulfilled the prescribed conditions.

The 10th March 1976

No. 24-Pres./76-*Corrigendum*.—The award of *Police Medal* for gallantry in the case of Shri Raghunandan Sharma, Sub-Inspector of Police, District Morena, Madhya Pradesh notified *vide* this Secretariat Notification No. 26-Pres./73, dated the 30th March, 1973, published at page 435 in Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 7th April, 1973, be treated as *Bar to the Police Medal*.

The 12th March 1976

No. 25-Pres./76-*Corrigendum*.—The following amendments are made to this Secretariat's Notification No. 3-Pres/76 dated the 6th January, 1976, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India, dated the 17th January, 1976 :—

At Serial No. 14

For "Master Somamaiq Mohammed Shaffi"

Read "Master Somana House Mohammed Shaffi"

K. BALACHANDRAN, Secretary to the President.

CABINET SECRETARIAT

(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRATIVE REFORMS)

RULES

New Delhi, the 20th March 1976

No. 11/8/75-CS. II.—The rules for a limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service to be held by the Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing) in September, 1976 are published for general information.

2. The number of persons to be selected for inclusion in the Select List will be specified in the Notice issued by the Institute. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Re-organisation Act, 1966, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir), Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution, (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3 The examination will be conducted by the Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing) in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the (Examination Wing) of the Institute.

4. Any permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, who on the 1st January, 1976 satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination :—

(1) *Length of Service.*—He should have on the 1st January, 1976 rendered an approved and continuous service of not less than 5 years in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE 1.—The limit of five years of approved and continuous service will also apply if the total reckonable service of a candidate is partly as a Lower Division Clerk and partly as Upper Division Clerk in the Central Secretariat Clerical Service.

NOTE.2.—Any permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerk of the Central Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962 namely, 26th October, 1962 to 9th January, 1968 would on reversion from the Armed Forces, be allowed to count the period of his service (including the period of training if any) in the Armed Forces towards the prescribed minimum service.

NOTE 3.—Lower Division Clerks who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible. This, however, does not apply to a Lower Division Clerk, who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service, vice.

(2) *Age*—

(a) He should not be more than 45 years of age on 1-1-1976 *i.e.*, he must not have been born earlier than 2nd January, 1931.

(b) The age limit prescribed above will be relaxable in the case of a permanent or regularly appointed temporary officer of the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service who joined the Armed Forces during the period of operation of the Proclamation of Emergency issued on 26th October, 1962, namely 26th October, 1962 to 9th January, 1968, and who has reverted therefrom to the extent of the period of his service (including the period of training, if any) in the Armed Forces.

(c) The age prescribed above will be further relaxable :—

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from Bangladesh (formerly East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Bangladesh (formerly East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971;

(iv) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(v) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vi) upto a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(vii) upto a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(viii) upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963·

(ix) upto a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign countries or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(x) upto a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(xi) upto a maximum of three years of a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(xii) upto a maximum of three years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof; and

(xiii) upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force personnel disabled in operations during the Indo-Pakistan hostilities of 1971 and released as a consequence thereof, who belong to the Schedules Castes or the Scheduled Tribes.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

(3) *Typewriting Test*—Unless exempted from passing the Monthly/Quarterly Typewriting Test held by Union Public Service Commission/Secretariat Training School/Institute of Secretariat Training & Management (Examination Wing) for the purpose of confirmation, in the Lower Division Grade he should have passed this test on or before the date of notification of this examination.

5. The decision of the Institute as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

6. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Institute.

7. A candidate who is or has been declared by the Institute to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means in the examination hall; or

(viii) misbehaving in the examination hall; or

(ix) attempting to commit or, as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses.

may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Institute from the examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Examination Wing of the Institute, from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under the appropriate rules.

8. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Examination Wing of the Institute to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

9. Candidates, except those mentioned below, must pay the fee specified by the Examinations Wing of the Institute from time to time :

(i) Members of S. Cs. & S. Ts. must pay one fourth of the specified fee; and

(ii) Exemption from payment of specified fee will be allowed to such candidates belonging to various classes or categories of persons notified from time to time by the Government for exemption or concessions or both in fees.

10. After the examination, the candidates will be arranged by the Institute in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Institute to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade up to the required number.

Provided that the candidates belonging to any of the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates, for inclusion in the Select List for the Upper Division Grade, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

NOTE.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualifying examination. The number of persons to be included in the Select List for the Upper Division Grade on the results of the examination is entirely within the competence of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in this examination, as a matter of right.

11. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Examination Wing of the Institute in its discretion and the Institute will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless the Cadre Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate, having regard to his conduct in service, is suitable in all respects for selection :

Provided that the decision as to whether a particular candidate recommended for selection by the Institute (Examination Wing) is not suitable shall be taken in consultation with the Department of Personnel and Administrative Reforms.

13. A candidate who after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in the Central Secretariat Clerical Service, or otherwise quits the Service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department or, who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien in the Lower Division Grade of the C.S.C.S. will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a Lower Division Clerk who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

K. B. NAIR,
Under Secretary

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan :—

Part I—Written examination carrying a maximum of 300 marks in the subjects as shown in para 2 below.

Part II—Evaluation of record of service of such of the candidates who attain at the written examination, a minimum standard as may be fixed by the Institute in their discretion carrying a maximum of 100 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the maximum marks allotted to each paper and the time allowed will be as follows :—

Subjects	*Maximum Marks*	*Time allowed*
(i) Eassy and Precis Writing		
(a) Essay	50	
	100	2 hours
(b) Precis-Writing	50	
(ii) Noting and Drafting and Office Procedure	100	2 hours
iii) General Knowledge	100	2 hours

3. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule below.

4. Candidates are allowed the option to answer the papers in English or in Hindi (Devanagari) subject to the condition that at least one of the papers viz., (i) Essay and Precis Writing or (ii) Noting and Drafting and Office Procedure, or (iii) General Knowledge must be answered in English.

NOTE 1.—The option will be for a complete paper and not for different questions in the same paper.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (Devanagari) or in English should indicate their intention to do so clearly in column 6 of the application form; otherwise, it would be presumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3.—The option once exercised shall be treated as final and no request for alteration in Column 6 of the application form shall ordinarily be entertained.

NOTE 4.—Question papers will be supplied both in Hindi and English.

NOTE 5.—No credit will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidate.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The (Examination Wing) of the Institute have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

1. Essay and Precis Writing :

(a) *Essay.*—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) *Precis Writing.*—Passages will usually be set for summary or precis.

2. *Noting & Drafting and Office Procedure.*—The paper on Noting & Drafting and Office Procedure will be designed to test the candidate's knowledge of Office Procedure in the Secretariat and Attached Offices and generally their ability to write and understand notes and drafts. Candidates are required to study the Manual of Office Procedure—Notes on Office Procedure issued by the Institute of Secretariat Training & Management—and the Rules of Procedure and conduct of business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha for this purpose.

3. *General Knowledge.*—The paper on General Knowledge will be intended *inter alia* to test the candidate's knowledge of Indian Geography as well as the country's administration, as also intelligent awareness of current affairs, both national and international which an educated person may be expected to have. Candidate's answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, reports etc.

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(DEPARTMENTS OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi, the 12th February 1976

ORDERS

No. 27/5/76-CL.II.—In pursuance of clause (ii) of sub-section 1 of Section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri S. N. JEYA, Inspecting Officer in the Department of Company Affairs, Government of India, New Delhi, for the purposes of the said Section 209A.

No. 7/11/75-CL.II.—In pursuance of clause (ii) of sub-section (1) of section 209A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby authorises Shri M. Rama Rao, Senior Technical Assistant, Office of the Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad, in the Department of Company Affairs, Government of India, for the purpose of the said section 209A.

2. The Central Government hereby revokes the authorisation issued in favour of Shri S. R. V. V. Satyanarayana, Senior Technical Assistant, vide the Order No. 53/2/73-CL.II dated the 31st August, 1973.

N. L. PILLAY, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 1st March 1976

No. U-13019/18/75-ANL(1).—In pursuance of para 3(3) of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 26/3/71-ANL dated the 24th August, 1972, as amended from time to time, the President is pleased to nominate Smt. Marryam, resident of West Bay Katchal, to the Advisory Committee in respect of Union Territory of Andaman and Nicobar Islands associated with the Chief Commissioner of the Islands for a period upto 31st March, 1976.

No. U-13019/18/75-ANL(II).—In pursuance of clause (e) of paragraph 2 of the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 26/12/72-ANL dated 4th October, 1972, as amended from time to time, the President is pleased to nominate Smt. Jai Devi, resident of Junglighat village to the Advisory Committee to be associated with the Minister of Home Affairs in the Administration of the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands for a period upto 31st March, 1976.

KAILASH PRAKASH, Dy. Secy.

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi, the 28th February 1976

No. 4(1)/76-EPZ.—The Central Government hereby appoints Shri P. C. Nayak, Joint Secretary, Department of Industrial Development, as a member of the Santa Cruz Electronics Export Processing Zone Board *vice* Shri I. Mahadevan and makes the following further amendment in the Government of India, (formerly) Ministry of Foreign Trade, Notification, No. 16(2)/73-TAEP dated the 20th January, 1973.

In the said Notification, for the entry against S. No. 4, the following entry shall be substituted, namely :

"4. Shri P. C. Nayak,
Joint Secretary,
Department of Industrial Development."

U. R. KURLEKAR, Dy. Director

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(DEPARTMENT OF FAMILY PLANNING)

New Delhi, the 29th January 1976

RESOLUTION

No. 11-20/73-Trg.—The Government of India are pleased to constitute a "Coordination Committee for Bio-Medical Research".

The composition of the Committee will be as under :—

1. Secretary, Ministry of Health and Family Planning.	Chairman
2. Additional Secretary (FP).	Member
3. Director General of Health Services.	Member
4. Joint Secretary and Commissioner (FP).	Member
5. Director General, I.C.M.R. New Delhi.	Member
6. Director, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.	
7. Director, National Institute of Family Planning, New Delhi.	
8. Director C.D.R.I., Lucknow.	Member
9. Professor M. R. N. Prasad, Delhi University	Member
10. Joint Secretary, Finance (Health).	Member
11. Director General, Council of Scientific and Industrial Research.	Member
12. Deputy Commissioner (T&R).	Member-Secretary

The terms of reference of the Committee will be :

(i) To co-ordinate and review the progress in the field of Bio-Medical Research, so as to avoid duplication and repetition.

(ii) To consider availability and utilisation of grants for Bio-Medical Research and also of assistance from Foreign Agencies.

2. The Committee shall have the power to coopt/invite other experts to attend its meetings and to set up sub-committees as it may consider necessary. The Committee may meet as often as necessary.

3. Normally the meetings of the Committee shall be held in New Delhi.

4. The life of the Committee shall be two years.

5. Non-official members and invitees to the Committee shall be entitled to the grant of travelling and daily allowances for attending meetings of the Committee at the rates admissible to an officer of the highest grade in Class I of the Central Services. Members of the Committee who are Government servants will draw travelling and daily allowances as admissible to them from the same source from which they get their salary.

6. The expenditure involved is to be met from within the sanctioned budget grant under Major Head Demand No. 45-Family Planning, Major Head "281-A" Family Planning A-1-Direction and Administration A-1(1)-Technical Wing at Headquarters, A-1(1)(4)-Travel Expenses.

ORDER

ORDERED that the resolution be published in the Gazette of India for General information.

SERLA GREWAL,
Jt. Secy. & Commissioner (FP)

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 28th February 1976

RESOLUTION

No. 25-8/68-LD.I.—In partial modification of this Ministry's Resolution No. 25-5/66-LD.I, dated 29-6-1967 regarding Committee on Cow Protection, as amended from time to time, the Central Government have decided that for entry against item No. 9 of the above resolution, the following may be substituted :—

Dr. L. S. Venkatramanana,
Senior Fellow,
Institute of Social & Economic Change,
Bangalore.

Q. M. AHMAD, Joint Secy.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to :—

1. All State Governments/Union Territories.
2. Lok Sabha Secretariat.
3. Rajya Sabha Secretariat.
4. Prime Minister's Secretariat.
5. Cabinet Secretariat.
6. Shri G. K. Mitter, Chairman, Committee on Cow Protection, 36/4, South End Park, Calcutta-29.
7. Shri Shyama Charan Shukla, Chief Minister of Madhya Pradesh, Bhopal.
8. Shri S. S. Ray, Chief Minister of West Bengal, Calcutta.
9. Shri Goswami Girdhari Lal Ji, Pradhan Mantri, Sanatan Dharam Pratinidhi Sabha, Bhupendra Bhavan, Paharganj, New Delhi.
10. Shri Akshay Kumar Jain, Editor, Nav Bharat Times, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
11. Dr. M. N. Menon, Animal Husbandry Commissioner.
12. Dr. I. J. Singh, Professor of Agricultural Economics, Haryana Agricultural University, Hissar, Haryana.
13. Dr. V. Kurian, Chairman, National Dairy Development Board, Anand (Gujarat).
14. Indian Council of Agricultural Research, New Delhi.
15. E.I/E.II/E.III/E.IV/E.V, Deptt. of Agriculture for information.
16. Information Officer, Department of Agriculture.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

GURDIAL MOHAN, Under Secy.

MINISTRY OF ENERGY
(DEPARTMENT OF COAL)

New Delhi, the 25th February 1976

No. 55011/31/75-PIR.—The Government of India have decided to appoint the Director General of Mines Safety as a Member of the Committee constituted to examine the whole question of safety in the nationalised mines, under Resolution dated the 5th January, 1976 of the Ministry of Energy (Department of Coal) in Part I Section 1.

K. SITARAMAN, Director

New Delhi, the 27th February 1976

No. 34012/13/74-CI/CPC.—In continuation of Notification No. 34012/13/74-CI(Vol.II) dated 17th July, 1975 of the Ministry of Energy (Department of Coal), the Government of India have been pleased to grant time till 30th June, 1976 for submission of the report of the Expert Group on Synthetic Oil.

M. JHA, Director

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976